मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :– श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

मंगतु .....बनाम..... धनपत आदि

दावा बाबत :– 88 RTAct

मुकदमा नम्बर :– 288/2021

निर्णय दिनांक :– 23-11-2021

वादी की ओर से वकील..... रोहताश शर्मा .....की व प्रतिवादी सं0 1 से 4 की ओर से वकील..... रामजसगढ़वाल .....की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 23-11-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रोही मौजा मालकलू के खाता सं० 55/52 के खसरा सं० 213/2 को 3.8200 है० बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं० 1 धनपत के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से अकेले प्रतिवादी सं० 1 धनपत के बजाए वादी मंगतु व प्रतिवादी सं० 1 धनपत, प्रतिवादी सं० 2 अमरजीत सिंह का बराबर हिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं चूंकि प्रतिवादी सं 3 व 4 ने अपना सम्पूर्ण एक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। राजीनामा का डिक्री का लाग पढ़ा जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner